संख्या-5/2024/786985/2024-21-10025/6/2020

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा (उर्दू) अनुभाग-2
लखनउ: दिनांक 05 नवम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

भाषा विभाग द्वारा सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0प्रयागराज के माध्यम से वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 10,11 एवं 12 दिसम्बर, 2024 को आयोजित की जाने वाली जूनियर हाईस्कूल/ हाईस्कूल स्तर की वैकल्पिक उर्दू प्रवीणता परीक्षा (कार्यक्रम संलग्नक) के लिये परीक्षा केन्द्रों पर भाषा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित परीक्षा केन्द्रों पर पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती की जाती है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम/विभाग	तैनाती केन्द्र	तैनाती पद
01	श्री अरशद हुसैन	अनुभाग अधिकारी,भाषा (उर्दू) अनु0-5	राजकीय इण्टर कालेज, निशातगंज, लखनऊ	पर्यवेक्षक
02	श्री अरकम इश्तियाक	समीक्षा अधिकारी, भाषा(उर्दू) अनु0-2	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज।	पर्यवेक्षक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

03	रेहाना आजमीन	समीक्षा अधिकारी, भाषा(उर्दू) अनु0-5	राजकीय इण्टर कालेज,मुरादाबाद।	पर्यवेक्षक
04	श्री सतीश कुमार वर्मा	समीक्षा अधिकारी, भाषा(उर्दू) अनु0-1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा।	पर्यवेक्षक

संलग्नकः- यथोक्त।

(मो0 आसिम रिज़वी)
अनु सचिव (भाषा)

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव,भाषा विभाग।

(2) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय से भी प्रेषित कि परीक्षा हेतु केन्द्रवार पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या एवम परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त केन्द्रवार उपस्थित परीक्षार्थियों का विवरण भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) , शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड लखनऊ।

(4) भाषा अनुभाग-2, भाषा (लेखा) अनुभाग एवं भाषा (उर्दू) अनुभाग-1,2 एवम 5

(5) सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ तथा इस आशय से कि परीक्षा सकुशल सम्पन्न होने की रिपोर्ट भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(6) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, निशातगंज, लखनऊ।

(7) प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, महात्मा गॉधी मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज ।

(8) प्रधानाचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, आगरा।

(9) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, मुरादाबाद।

(10) जिलाधिकारी आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि पर्यवेक्षकों को सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस में ठहरने आदि की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

(मो0 आसिम रिज़वी)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।